

पत्र संख्या—वन भूमि—08/2017— व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक—

विषय :— J.U.S.N.L द्वारा दुमका, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद वन प्रमंडल अंतर्गत गोविन्दपुर से दुमका तक 220 K.V. D/C ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल—16.2635 हेठले वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—11-306/2014-FC (pt) दिनांक—28.08.2015 के द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—609 दिनांक—31.05.2019 से प्राप्त कार्यानुमति प्रस्ताव की समीक्षोपरांत विषयक परियोजना में सन्तुष्टि अधिसूचित वनभूमि पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—वन भूमि—08/2017—

व०प०, राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि—सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिय पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं०—A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची—834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—वन भूमि—08/2017—

व०प०, राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, बोकारो/देवघर/दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल/देवघर/दुमका/जामताड़ा/सहायक महाप्रबंधक, बी०—८, सूर्यदेव नगर, हर्ष विहार कॉलोनी, कोला कुसमा, सरायडेला, धनबाद—828127 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक—वन भूमि—08/2017— 1909

व०प०, राँची, दिनांक—04/06/2019

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाइट "www.forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी